



2026:AHC-LKO:40024

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या - 4766 सन 2026

क्रफ़ीलुद्दीन

..... आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ
एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	सुधा पाल, वरुण कुमार
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी

1. श्री वरुण चन्द्र एवं श्री प्रदीप कुमार मौर्य, अधिवक्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से संयुक्त वकालतनामा दाखिल करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और उसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. तत्काल आवेदन आरोप-पत्र दिनांक 12.12.2015, समन आदेश दिनांक 04.08.2016 तथा वाद संख्या 38099 सन् 2016 की संपूर्ण कार्यवाही, अंतर्गत धारा 420, 427, 447, 465, 468, 471, 506 भारतीय दंड संहिता, पुलिस थाना - गुडम्बा, शीर्षक 'राज्य बनाम क्रफ़ीलुद्दीन', जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-II, लखनऊ के न्यायालय के समक्ष लंबित है, को निरस्त किए जाने हेतु दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि किसी गलतफहमी के कारण वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदकों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी और उसके पश्चात पक्षकारों ने आपसी विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता कर लिया है। समझौता-पत्र दिनांक 29.05.2026 को लिखित रूप में तैयार किया गया है, जिसे वर्तमान आवेदन के साथ अनुलग्नक संख्या-4 के रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब पक्षकारों के बीच एक-दूसरे के विरुद्ध कोई शिकायत शेष नहीं है और आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही चलाना निरर्थक होगा, क्योंकि मुकदमे के विचारण का कोई परिणाम शेष नहीं है। यह केवल आवेदकों का उत्पीड़न होगा। अतः आवेदकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही निरस्त की जाए।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कथन का समर्थन करते हुए कहा कि पक्षकारों ने समझौता-पत्र के माध्यम से अपना विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और वर्तमान आवेदकों के विरुद्ध प्रतिवादियों की अब कोई शिकायत शेष नहीं है। अतः आवेदकों के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जाए।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त तर्कों पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।

7. अब यह कि वास्तव में पक्षकारों के बीच समझौता हुआ है या नहीं, इसका सर्वोत्तम निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे समझौते का संबंधित पक्षकारों की न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति में विधिवत सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

8. तदनुसार, इस आवेदन का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि यदि ऐसा कोई समझौता उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा और उसके पश्चात समझौते का सत्यापन करेगा। यदि उक्त समझौता सत्यापित हो जाता है, तो न्यायालय इस संबंध में एक प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा समझौते को अभिलेख का भाग बनाया जाएगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. ऐसी स्थिति में न्यायालय पक्षकारों को उक्त प्रतिवेदन तथा समझौते की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की अनुमति देगा और उसके पश्चात आवेदकों के लिए यह खुला रहेगा कि वे कार्यवाही निरस्त कराने हेतु पुनः इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएँ।

10. तीन महीने की अवधि के लिए, धारा 420, 427, 447, 465, 468, 471, 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पुलिस थाना - गुडम्बा, में पंजीकृत वाद संख्या 38099 सन् 2016 की समस्त कार्यवाही के अनुसरण में आरंभ की गई कार्यवाही जिसका शीर्षक 'राज्य बनाम कफीलुद्दीन' है तथा जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-II, लखनऊ के न्यायालय के समक्ष लंबित है, आवेदकों के संबंध में स्थगित रहेगी।

11. विचारण न्यायालय को यह परीक्षण करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या आरोप-पत्र जिन सभी पक्षकारों के विरुद्ध दाखिल किया गया था, वे सभी समझौते के पक्षकार हैं। इस संबंध में वह सत्यापन आदेश के साथ एक रिपोर्ट भी प्रेषित करेगा।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उक्त मूल समझौता विलेख की एक छायाप्रति अभिलेख पर रखकर, यदि कोई हो, तो मूल समझौता विलेख आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता को वापस कर दे।

[न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी]

जून 3, 2026

वी.सिन्हा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।